बिहार सरकार
उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

पत्रांक–.. दिनांक –..

संoसं0–ह0क0–(14)विविध–08/2017

प्रेषक,

अपर सचिव,
उद्योग विभाग,बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ह0एवं ले0)
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार*

विषय:–वित्तीय वर्ष 2018–19 में, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की योजना "पावरटेक्स इण्डिया" से आच्छादित In- situ upgradation of plain powerloom scheme अन्तर्गत प्लेन विद्युतकरघा में अतिरिक्त साज–सज्जा (additional attachment) लगाकर, अर्द्ध–स्वचालित (Semi-Automatic) विद्युतकरघा में परिवर्तित करने हेतु 3,76,200/– रू0 (तीन लाख छिहत्तर हजार दौ सौ) तथा सार्वभौमिक बीमा कवरेज योजना हेतु 2,08,000/–(दो लाख आठ हजार) कुल राशि 5,84,200/–रू0 (पाँच लाख चौरासी हजार दो सौ) राज्य सरकार के अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राज्य सरकार के अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018–19 में, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की योजना "पावरटेक्स इण्डिया" से आच्छादित In- situ upgradation of plain powerloom scheme अन्तर्गत प्लेन विद्युतकरघा में अतिरिक्त साज–सज्जा (additional attachment) लगाकर, अर्द्ध–स्वचालित (Semi-Automatic) विद्युतकरघा में परिवर्तित करने हेतु 3,76,200/– रू0 (तीन लाख छिहत्तर हजार दौ सौ) तथा सार्वभौमिक बीमा कवरेज योजना हेतु 2,08,000/– (दो लाख आठ हजार) कुल राशि 5,84,200/–रू0 (पाँच लाख चौरासी हजार दो सौ)राज्य सरकार के अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की योजना " पावरटेक्स इण्डिया योजना " से आच्छादित योजनाओं के तहत वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का एवं विद्युत्करघा बुनकरों को अपना अंशदान देने का प्रावधान रखा गया है। बिहार राज्य के बुनकर इस योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें, इस उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से अनुदान देने का निर्णय आदेश ज्ञापांक–2290 दिनांक– 20.12.2018 द्वारा निर्णय लिया गया है (अनुसूची " क " संलग्न)।

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य में इन योजनाओं का कियान्वयन पावरलूम सेवा केन्द्र, भागलपुर के माध्यम से कराया जा रहा है। इनके द्वारा वित्तीय वर्ष– 2018–19 के लिए In- situ upgradation of plain powerloom scheme एवं सार्वभौमिक बीमा कवरेज बीमा अन्तर्गत निम्नवत् राशि की मॉग की गई है–

क0	पावरटेक्स इण्डिया योजना	लक्ष्य	अनुदान राशि
1.	In- situ upgradation of plain powerloom scheme	53 प्लेन विद्युतकरघा	3,76,200/–
2.	सार्वभौमिक बीमा कवरेज योजना	2600 विद्युतकरघा बुनकर	2,08,000/–
		कुल–	5,84,200/–

2. प्रस्तावित राज्यांश राशि 5,84,200/–रू0 (पाँच लाख चौरासी हजार दो सौ) का व्यय मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 108, बिजली करघा उद्योग, माँग सं0–23, उप शीर्ष 0101, विद्युतकरघा योजना विपत्र कोड 23–2851001080101 राज्य विषय शीर्ष–33 सब्सिडी के अन्तर्गत 0101.33.01 सब्सिडी मद से विकलित होगा जिसके लिए आय–व्ययक 2018–19 में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

3. स्वीकृत राशि 5,84,200/–रू0 (पाँच लाख चौरासी हजार दो सौ) की निकासी के लिए उप विकास पदाधिकारी(वस्त्र) हस्तकरघा सघन विकास योजना, भागलपुर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार से राशि की निकासी सार विपत्र–बी0 टी0 सी0–26 पर एकमुश्त अग्रिम के रूप में

P.T.O

जिला कोषागार, भागलपुर से करेंगे, जिसमें योजना कोड तथा विपत्र कोड का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेंगे एवं निम्नवत् योजना के अनुसार भुगतान करेंगे–

(क) In- situ upgradation of plain powerloom पावरलूम सेवा केन्द्र, भागलपुर से केन्द्रांश राशि लाभुकों को भगुतान किये जाने का प्रमाणक उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र), भागलपुर को उपलब्ध करायेंगे। तदोपरांत राज्य सरकार का अनुदान राशि राज्य के सभी लाभुकों के बैंक खाता में उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र), भागलपुर द्वारा किया जाएगा।

(ख) सार्वभौमिक बीमा कवरेज योजना– पावरलूम सेवा केन्द्र, भागलपुर से केन्द्रांश राशि लाभुकों के बीमा योजना में प्राप्त होने का प्रमाण उपलब्ध कराने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला अंशदान राशि राज्य के सभी लाभुको के लिए इस योजना के कार्यान्वियन एजेंसी –पावरलूम सेवा केन्द, भागलपुर के बैंक खाता में उपलब्ध करायेंगे।

(4) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्य संपादन एवं राशि के व्यय के पश्चात् सार विपत्र BTC–26 पर निकासी की गई राशि का डी0 सी0 विपत्र छः माह के अन्दर BTC–27A पर ससमय महालेखाकार, बिहार, पटना को समर्पित करेंगे तथा इसकी सूचना निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम को उपलब्ध करायेंगे। " बिहार कोषागार संहिता के नियम 194 (I) के अनुसार BTC–26 यानि संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र (AC Bill) से आहरित राशि हेतु विस्तृत विपत्र (DC Bill) की प्रस्तुति में कोषागार से संक्षिप्त विपत्र के निकासी करने की तिथि से 6 महीने से अधिक का विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। इस अवधि के बाद तबतक कोई भी संक्षिप्त विपत्र नहीं भुनाया जा सकेगा, जबतक इन नियमों के अनुरूप विस्तृत विपत्र प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता। '

5. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, उद्योग का अनुमोदन प्राप्त है।

6,. निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना योजना का अनुश्रवण करेंगे।

7. राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक–4263 दिनांक–20.05.2014 में निहित दिशा–निर्देश के अनुरूप की जायेगी।

विश्वासभाजन

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग,बिहार, पटना।

ज्ञापांक– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– जिला कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग,बिहार, पटना।

ज्ञापांक– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र), हस्तकरघा सघन विकास योजना, भागलपुर,/पावरलूम सेवा केन्द्र, भागलपुर, उप निदेशक, टेक्सटाईल कमिश्नर का क्षेत्रीय कार्यालय,कोलकाता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 112 / पटना, दिनांक– 07.01.19

प्रतिलिपि– वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/बजट शाखा उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ बजट शाखा उद्योग निदेशालय/उप उद्योग निदेशक (योजना शाखा), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/प्रमण्डलीय आयुक्त, भागलपुर/आई0टी0मैनेजर, उद्योग विभाग/वस्त्र आयुक्त, निष्ठा भवन, 48, न्यू मैरिन लाईस, मुम्बई–400020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

D:\Dilip kumar\2019\Ishtiyak aamac\Letter/ sencetion letter